

डॉ० भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों की विवेचना---

अदभूत प्रतिभा, सराहनीय निष्ठा और न्यायशीलता तथा स्पष्टवादिता के धनी डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने अपने आपको दलितों के प्रति समर्पित कर दिया था। असूय्य समझी जाने वाली महार जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें अपने जीवन में कदम कदम पर भारी अपमान और घोर यत्रणा की स्थितियों का सामना करना पड़ा था। इन अपमानों और सामाजिक यातनाओं को झेलते हुए वे जीवन में निरन्तर आगे बढ़े और उन्होंने निश्चय किया कि भारत के अस्थायी वर्ग के अमानवीय जीवन की इस स्थिति को समाप्त कर उन्हें मानवता के स्तर पर लाना है। इस महामानव ने भारत के दलित वर्ग के प्रति निष्ठा और समर्पण की जिस स्थिति को अपनाया था, उसके आधार पर उसे भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर कगा गया और यहाँ तक की उन्हें 'बौधिसत्व' की उपाधि से विभूषित किया गया।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ई० को इन्दौर के पास महु छावनी में हुआ था। भीमराव ने हाई स्कूल तक का अध्ययन सतारा में किया और सन् 1907 ई० में हाई स्कूल की परीक्षा पास की, इसके बाद उन्होंने बम्बई के एलफिन्स्टन कॉलेज में दाखिला लिया। बड़ोदा के महाराजा गायकवाड द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से उन्हें कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। गायकवाड छात्रवृत्ति पर ही भीमराव को 1913 ई० में अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। वे भारत के पहले अछूत और महार थे, जो पढ़ने के लिए विदेश गये थे। जून 1916 ई० में अम्बेडकर ने विश्व की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइन्स में दाखिला लिया। अम्बेडकर में पढ़ने की ऐसी लगन थी कि वे दोपहर का खाना बिना खाये हुए पुस्तकालय में पढ़ते रहते थे।

इंग्लैण्ड से लौटकर उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी जीविका के लिए वकालत करेंगे और शेष समय अछूतों और गरीबों की सेवा में लगायेंगे। सन् 1923 ई० में उन्होंने वकालत शुरू कर दी तथा साथ ही अछूतों के उद्धार के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। सन् 1930 ई० में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष पद धारण किया।

डॉ० अम्बेडकर प्रबल देशभक्त और भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थक थे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में महात्मा गाँधी और कांग्रेस के साथ उनके मतभेद बने रहे। मतभेद का एक आधार तो दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रश्न था। इसके साथ ही डॉ० अम्बेडकर का यह दृष्टिकोण था कि उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अछूतों की बात कहने का हक नहीं है जो अछूत नहीं हैं। कुछ अवसरों पर तो डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गाँधी के प्रति भारी कटुता की स्थिति को अपना लिया। डॉ० अम्बेडकर कहते थे कि कांग्रेस ने अछूतों के कार्य में ईमानदारी का परिचय नहीं दिया है।

डॉ० अम्बेडकर निरन्तर यह अनुभव कर रहे थे कि हिन्दू धर्म में दलितों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं है। वस्तुतः हिन्दू धर्म उनके स्वाभिमान के साथ मेल नहीं खा रहा था। इन परिस्थितियों में डॉ० अम्बेडकर ने पाँच लाख व्यक्तियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसम्बर 1956 को प्रातःकाल की बेला में उनका देहांत हो गया। निर्भयता, स्पष्टवादिता और अक्खड़पन उनके स्वभाव का अंग था, जो सदैव उनके साथ बना रहा।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार-

डॉ० अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'Thoughts on Linguistic State' (1955) में भाषायी राज्यों के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि-- भाषायी प्रांतों के निर्माण से लोकतंत्र अधिक अच्छी प्रकार से क्रियान्वित होता है। एक भाषायी प्रान्त में मिश्रित प्रान्त की तुलना में सामाजिक एकजुटता अधिक अच्छी प्रकार बनी रहती है। भाषायी प्रांतों के निर्माण से तो खतरा नहीं है किन्तु खतरा इस बात से अवश्य है कि प्रत्येक प्रान्त की एक ही भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया जाय। उनके अनुसार यदि क्षेत्रीय भाषाओं को राज्य भाषा बना दिया गया तो प्रत्येक प्रान्त में ऐसी संकुचित संस्कृति का विकास होगा जिसकी परिणति अन्तोगत्वा भारत की एकता को खंडित करने में होगी।

डॉ० अम्बेडकर के अनुसार, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप तथा पद्धति है जिसमें बिना रक्त बहाए क्रान्तिकारी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। 'वे लोकतंत्र की संसदीय पद्धति के समर्थक व प्रशंसक थे। लेकिन उनका कहना था कि बिना सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। संसदीय लोकतंत्र की सहायता के लिए वे सामाजिक तथा आर्थिक समानता सुदृढ़ विधधी दल स्थायी सिविल सेवा तथा संवैधानिक नैतिकता को आवश्यक शर्त मानते थे।

डॉ० अम्बेडकर राज्य को समाज सेवा का एक साधन मानते थे यद्यपि वे जानते थे कि राज्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है यहाँ तक कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर नूतन व्यवस्था की स्थापना का कार्य भी राज्य ही करता है तथापि वह सर्वशक्तिमान और निरंकुश नहीं है बल्कि समाज सेवा का एक साधन है।

यद्यपि उनका कांग्रेस व गाँधीजी की पद्धतियों से विरोध था, लेकिन वे स्वतंत्रता के विरोधी नहीं थे। कुछ विद्वानों ने उनके 1942 ई० के भारत छोड़ो आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार करने पर उनके राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण पर आपत्ति की थी लेकिन उनका यह विरोध प्रस्ताव में देश की स्वतंत्रता के लिए अपनायी जाने वाली राणनीति और व्यूह रचना के मतभेद से सम्बंधित था। डॉ० अम्बेडकर ने इस संबंध में भी प्रस्ताव दिया था कि भारत के सभी मुसलमान पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के सभी हिन्दू भारत आ जायें, जिससे कोई झगडा और खून खराबा न हो, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। डॉ० अम्बेडकर देशभक्त थे तथा राष्ट्रीय एकीकरण के पक्षधर थे।

आगे, धन्यवाद।